[डा॰ रत्नाकर पाण्डेय]

मजर ध्राएगी । इसलिए राज्य सभा को वित्तीय ताकत मिलनी चाहिए । वित्तीय मामलों में हमारे श्रिधकार लोक सभा ध्रगर हम होंग और हम संसद के धंग हैं तो यह उचित नहीं लगता कि लोक सभा से हमारे ध्रिधकार किसी तरह कम हों जब कि राज्य सभा जच्च सदन हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अनुभवी सांसद विद्वान श्री रजनी रंजन साहू जी जो संविधान संशोधन विधेयक लाए हैं उसका पुरजोर समर्थन करता है श्रीर सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको लौटाने का आग्रह न करें बल्कि सदन को आश्वासन दें कि सरकार अपनी श्रीर से इसके लिए विधेयक लाएगी और राज्य सभा की गरिमा को ऊंचा करने के लिए दुनिया के जनतंत्र को रोशासी देने के लिए, एक नया दस्तावेज पेश करने के लिए भारतीय संविधान के माध्यम से सरकार एक विधेयक लाएगी और इस बीज को स्वीकृति

द्यस्य हार ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Hon. Members, Shri M.A. Baby, who was in the Chair, could not introduce the Bill standing against his name. Therefore, is it the pleasure of the House that he be granted permission to introduce his Bill?

HON. MEMBERS: Yes.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL, 1992 (TO AMEND ARTICLE 77)

SHRI M.A. BABY (Kerola): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI M. A. BABY: Madam, I introduce the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-MATI JAYANTHI NATARAJAN): We will continue with the Constitution (Amendment) Bill, 1991. Shri Ram Awadhesh Singh, nothere. Shri Kulabidhu Singh.

THE CONSTITUTION (AMENDMENT)
BILL, 1992 (INSERTION) OF NEW
ARTICLE 117A)—Contd.

SHRI W. KULABIDHU SINGH (Manipur): Madam Deputy Chairperson, normally I am madical in thought and action, but today & take the conservative role in the sense that I don't like the amendments brought by Shri. R. R. Sahu our respected friend. Our constitution has borrowed from the constitu-tions of many countries in the world, and primarily from the British model, the House of Lord and the House of commons. In the tenth and eleventh centuries the Commoners of England wanted their representation in a historic movement—"No taxation without representation". That was the cry of the British people, the Commoners. Under the British Constitution, a two-tier system, the House of Lord: and the House of Commons, is going on. Our founding fathers borrowed much of the thoughts from the British Constitution and we don't like to disturb that model. In India, Lok Sabha is directly elected by the people and the Council of States, Rajya Sabha, is indirectly elected. There is no reason to suffer from an inferiority complex. It is not that the Council of States is divested of financial powers. It is not a question of being deprived of powers in financial matters. It is a question of specialisation of the matters. Rajya Sabha is to specialise on some other superior matters, keeping checks and balances on what the Lower House has done. If there is any loophole or something like that, we are here to fill up the gaps, to correct mistakes, to revise and rethink it. Our role is to check and balance. In the House of Lords their judicial functions are presecribed. It is also a part of the judiciary. It is only a question of specialisation of duties between the House of Commons and the House of Lords, not that the House of Lords is superior or the House of Commons is superior because they are engaged in financial matters too. So we should not suffer from any complex of inferiority that we are deprived of financial business. It is after all a profit and loss account. It is a plusminus business. Why should we go into this affair of plus-minu business, profit and loss account of the excheqer of the State? Of course, it is an important thing, but there should be specialisation in the matter. We should not prefer to get into these Money Bill matters. Let it be the business of the Lower House. After all, we are human Man likes power. We want financial powers. True, but we have some more onerous tasks. They are merely doing financial business plus profit and loss account. In this connection I remember an aspect. Nowadays the Supreme

Court and the high courts-I may be wrong in reading their line of thought-also won to exercise powers of the Speakers in the name of judicial review. I think, all the courts have now wanted in the name of judicial review to exercise the powers of the Speakers also. Such grabbing of powers should not be here at least in our mind, So, I would not like to change what our founding fathers of the Constitution hane drafted by taking some portion from here and some from there and mostly from the British Constitution which is an vowritten Constitution. So, I would not like any change and we should not suffer from any complex that we are deprived of any financial powers. With these few words, I submit that this Bill is not one which is to be supported by me,

बौधरी हरि सिंह (उत्तर प्रदेश) : उपसभाष्यक्ष महोदया, श्री रजनी रंजन साह जी ने जो अपना संविधान संशोधन विद्येयक प्रस्तुत किया है उस संशोधन के जिए उन्होंने अपनी बात कहने की पेशकश की है कि राज्य सभा को भी वित्तीय शक्तियां, ग्राधिक पावर्स, बजट आदि की, मनी बिल की और देश के धन-दौलत की सारी नीतियां तय करने भौर बनाने की स्विधा संविधान के अनुसार होनी चाहिए। बात मूल में बहुत सही लगती है भौर सही है भी। लेकिन जैसा कि मैंने उनकी इंट्रोडक्टरी स्पीच को पढ़ा, उसके शरू की स्पीच में उन्होंने कहा है कि स्पेशियल कन्डीशन में श्रीर विशेष अवस्थाओं में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। यह बात सही है कि भारत के संविधान के सामने ग्रौर सरकार के सामने कई बार ऐसी विशेष परिस्थितियां उपस्थित हुई हैं, हो सकती हैं और श्राग भी होंगी और ग्राज भी मौजूद हो सकती हैं, कल भी होंगी कि जब लोक सभा ग्रस्तित्व में नहीं हो, चुनाव की तैयारी में लगी हो, लोक सभा के चुनावों की घोषणा हो गई हो, कोई पोपुलर सरकार न हो, काम चलाऊ सरकार हो, उस वक्त राष्ट्रीय विपदा बड़े पैमाने पर हो श्रीर हो सकता है कि देश के ऊपर किसी बाहरी मुरुक के हमले का डर हो, उस वक्त में सरकार के सामने बड़ा काइसेज हो कि लड़ाई करें या चुनाव करवायें या किसी महामारी या विपदा का मकाबला

ऐसी परिस्थिति के लिए कोई विशेष प्रावधान जरूर होना चाहिए जिससे बजट या भ्राधिक प्रावधानों को लागु किया जा सके। ऐसे काइसेज भाग भी हैं जब सरकार बाल बाल बची है। एक दो दिन बाकी रह जाते हैं जब कि किसी राज्य में राष्ट्रपति का शासन लाग् करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से जल्दी में कानून पास करना पड़ता है ग्रौर राष्ट्रपति का शासन बढ़ाना पड़ता है। वर्गर सोचे-विचारे ग्रीर बिना डिसकशन के कानून पास करना पड़ता है।ऐसे ही काइसेज की तरफ श्री रजनी रंजन साह जी का संकेत है ग्रीर यह बहुत ग्रावश्यक भी लगता है। इस पर बहुत गहनता भीर गम्भीरता के साथ सोचा जाना चाहिए। हमारी यह राज्य सभा एक मायने में हाउस ग्राफ लार्ड्स तो नहीं **कही जा** सकती है, लेकिन हाउस आफ एल्डर्स जरूर कही जा सकती है। एल्डर्ली **परसन** का मतलब यह है कि वह बड़ा अनुभवी है और यहां पर ऐसे विद्वान लोग औ शासन में रहे हों, जुडिशियरी से आये हों, प्रोफेसर हों, एकेडेमिशिन्स हों जो हिन्द्रस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के जाने-माने विद्वान हो, एकसपर्ट हो, किसी विषय के विशेषज्ञ हों, कई बार राज्यों में मुख्य मंत्री रहे हों, इस सदन के अन्दर होते हैं। लोक सभा में लोग जीत कर श्राते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो कानुन या बजट पास होता है उसके कई रिपरकसन हो सकते हैं जिससे संकट की स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए राज्य सभा एक छलनी का काम कर सकती है। सही सलाह देकर उस पर दुबारा विचार करने का मौका दिया जा सकता है।

वे जो इलेक्शन के वायदे करते हैं, सच्चे या झुठे, उनके ब्राधार पर सारे केंसेशन दिये जाते हैं, वजट बनता है, कानून चन्ता है के किन यह जो राज्यमभा है, कोंसिल ब्राफ स्टेट है इसके सदस्य इलेक्शन में जाकर पीपुल्स के सामने वायदे नहीं करते, ये पापुलर सेंटीमेंट को जीतकर यहां नहीं ब्राते। यह ठीक है कि इनकी राय परि पक्च होती है, शनुभव होता है। इस मायने में राज्यसभा जो है उसकी उप-

[बीधरी हार्रासह]

योगिता लोकसभा से बहुत ऊची है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब संकट हो श्रीर लोकसभा
न हो तो उस बक्त के लिये रजनी रंजन
साहू जी का जो संशोधन है वह उपयुक्त
है। यह बहुत सामयिक है और इसे
माना जाना चाहिए। इसकी स्रावश्यकता
भी है। साथ ही साथ हमको इस पर
भी विचार करना चाहिए कि स्रगर इस
तरह का प्रावधान नहीं होगा तो देश के
सामने ऐसी स्थिति स्राने पर क्या होगा,
इसलिए इस पर सोचने और विचार करने
की आवश्यकता है। सरकार को इसकी
तरफ ध्यान देना चाहिए और इस पर
विचार करके इसकी लाना चाहिए।

लेकिन मैं एक बात जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने की, वे मेरी पार्टी के हैं, मशहूर श्रौर विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि जो जनता के नुमाइन्दें हैं, जो सीधी लड़ाई लड़कर ग्राते हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं श्रीर जो चुनाव लड़ते हैं सारी पालिसी मेकिंग उनके हाथ में न रहे। यह बात मुझे अपील नहीं करती है। ये हर पांच साल बाद जनता के बीच में जाते हैं लेकिन हम कभी भी जनता के बीच में नहीं जाता । हमारा रोल दूसरा है। लोकसभा के जो मेंबर हैं उनका कार्यक्षेत्र ग्रौर उनके कार्य करने की प्रणाली भौर शैली दूसरी है। पीपुल्स की नब्ज उनके हाथ में होती है। जब वे चुनाव लड़ते हैं श्रौर उनकी पार्टी का लीडर प्रधान मंत्री बनता है तो वह जानता है कि पीपुल्त की नब्ज क्या है, देश क्या चाहता है, क्या हमारी ग्राधिक नीतियां होनी चाहिए ग्रीर क्या पालिसी हमारे लिये अरूरी है। तो जो पार्टी बहुमत

में ग्राती है तो उसका नेता प्रधान मंत्री बनकर उसके ग्राधार पर ग्रपनी नीतियां निर्धारित करता है। ग्रगर राज्यसभा का लीडर पालिसी मेकिंग करेगा, बजट बनायेगा या एकानामिक पालिसी ले-डाउन करेगा तो यह ठीक नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। जनता सुप्रीम है, सावरन है, राज्यसभा सावरन नहीं बन सकती। मैं इस आइडिया को मानने वाला हूं कि जो लोग सावरन बनना चाहें वे जनता के बीच में जायें। प्रधान मंत्री देश को डाइरेक्शन देता है क्योंकि वह श्रौर उसकी पार्टी के नुमाइंदे लोगों के बीच में जाकर इलेक्शन कांटेस्ट करते हैं। जनता के सामने वे अपना इलेक्शन मैनीफेस्टो रखते हैं कि अगर हमारी सरकार आयेगी तो यह पालिसी हम ले-हाउन करेंगे। यह हमारी एकानामिक पालिसी होगी, हम देश के लिए इस प्रकार का आर्थिक ढ़ांचा रखेंगे, गरीबों के लिये यह कार्यक्रम चलायेंगे, देश के उत्थान के लिए यह करेंगे, हम हैल्थ में यह लायेंगे, एजुकेशन में यह लायेंगे। इसलिए श्रीमत, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जनता के नुमदंदे हैं उनको राज्यसभा के सदस्य सुपरसीड नहीं कर सकते । हां, ऋाइसेस के वक्त मैं श्री रजनी रंजन साह जी का जो मंतब्य है, उससे मैं एग्री करता हूं। इसकी आवश्यकता है। अगर श्राप इसको नहीं करेंगे तो किसी दिन देश चौराहे पर मिलेगा। लेकिन यह तर्क कि हम उनसे सुप्रीम हैं इससे एग्री नहीं करता। राज्य-सभा एक परमार्नेट बाडी है। लेकिन क्या कभी श्राप जनता के बीच में जाते हैं? इसलिए यही ग्रन्छा है कि इसके द्वारा बेटर कौंसिल मिलती रहे यह उचित होगा ।

श्रीमन्, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और साथ ही चेतावनी देना चाहता हूं, यहां पर लाँ मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ग्रगर श्रापने यह नहीं किया तो देण के सामने संकट खड़ा हो जायेगा।

दूसरा मैं थोड़ा सा इसके थ्योरिटिकल ग्रास्पेक्ट पर ग्राना चाहता है। ग्रलास्की ने क्या कहा, रे ने क्या कहा, पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में क्या कहा गया है, मैं इन सब चीजों को नहीं जानता हूं पर इस बारे में मैं भ्रपना प्रैक्टिकल ब्यू जरूरो रखना चाहता हूं। हिन्दुस्तान का सविधान जो बना उसमें दुनिया के जो बड़े-बड़े माने हुए विद्वान लोग थे, इतिहास में जिनका नाम है, जो फ्रीडम फाइटर थे, जो बड़े विद्वान थे श्रीर जिन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी थीं इस तरह की बड़ी है सियत वाले विद्वान हमारे देश का संविधान बनाने वाले रहे। लेकिन उस समय में श्रीर श्राज में बहुत चेंज ग्रा गया है, सरकमस्टांसेज बदल गये हैं, सोसायटी बदल गयी है, सोसाइटी **ग्रौ**र समाज का दृष्टिकोण बदल गया है। ग्रब यंग जनरेशन ग्रा गई है। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि 2000 ब्राते ब्राते 80 फीसदी जो हमारी ग्राबादी होगी वह 47 साल से ज्यादा नहीं होगी । एवरेज 4500 P.M. यह वाला है। हमारे संविधान को बनाने में महान दिद्वानों ने, त्यागी पुरुषों ने सारी चीजों को इमेजिन कर के बनाया धौर दुनियां भर के संविधानों से नई-नई **चीजों को** हमारे संविधान में रखा **ग्र**ीर सब से बड़ा संविधान बनाया लेकिन इसके बावजुद यह भाज की परिस्थितियों में फिट-इन नहीं होता है। श्रव तक हमारे संविधान में मेरे विचार में 59 संशोधन हो चुके हैं। यह संशोधन क्यों करने पड़े, क्यों कि हमारा संविधान आज की परि-स्थिति में बिलकुल फिट नहीं बैठ रहा है। इतनी भारी संख्या में संशोधनों का सिल-सिला चलता रहा तो कहीं एसा न हो कि हमारा जो मूल संविधान है वह केवल एक ढांचा ही रह जाए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि वक्त का तकाज़ा है, श्रार्थिक स्थितियाँ, हमारे विदेशी ताल्लुकात, श्रन्ति रियतियां, सामाजिक समस्यार्थे हैं, इनको देखते हुए संदिधान को रिराइट किया जाना चाहिए **श**ाज तो ऋध्य की सिच्येशन भी बदल गई है छीए किभिनल्ज का स्टेंडर्ड किस तरह का हो गया है, ऋद्भ करने के वेपन धौर तरीके भी बहुत बदल गरे हैं लेकिन यह सारी **चीजें कहती** हैं कि ग्रगर हम ला की विताब हाथ पर रख कर जाएं या नहीं रख कर जायें तो श्रपराधी सजा नहीं पा सकता है धाँर यदि पुलिस ईमानेदारी धौर सन्वाई से काम करेत्रो कोई किमिनल सजा नहीं पा सकता है। ला में इतने सारे सवाल खड़े हो गये हैं। मेरे कहने की मंशा यह है कि श्राज की जो बदलती हुई परिस्थितियां हैं उनमें संविधान को रीराइट करना बहुत ग्रावश्यक हो गया है। में पुरजीर शब्दों में कहता हूं कि चाहे हमें कांस्टीट्युट भ्रस्मेंबली का गठन **करना** पड़े तो किया जाए लेकिन सं**विधान को** रीराइट किया जाना चाहिए और नये ढांचे में ढाला जाना चाहिए।। ग्राज यह कहते हैं कि यह धंग्रेजी कांस्टीट्यूकन की नकल है। अहाँ पर हमारा प्वाइट साइलेंट हो जाएगा दहां पर इंग्लैंड के **संदिधान से** दुष्टांत हम लेंगे। इस प्रायधान को स**म**ाप्त करना च हिए क्योंकि यह भी गुलामी की निशानी है। इसलिए मैं मांग करता हुं और विधि मंत्री जी से निवेदन करनी चहता हूं कि हमारे संदिधान को नये क्षिरे से लिखा जाए **धौ**र यदि संविधान सभा का गठन करना पड़े तो वह भी किया जाए। इन भव्दों के साथ स्पेशल वंडीशंस धौर तात्कालिक परिस्थितियों को मीट करने के लिए हमारी राज्य सभा को प्राधिक पावर देने के लिए साह साहब ने जो बिल प्रस्तृत किया है, मैं उसका समर्थन करता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN) : Shri Subramanian Swamy. Not there,

SHRI B. L. PANWAR (Rajasthan): Thank you, Madam, for giving me this opportunity to speak. Before speaking on this Bill I want to give cart-loads of thanks to our hon. Prime Minister for permitting me to go abroad and get my heart bypass surgery done. I got a new life, a new heart, and because of that I am able to speak for the first time in this budget Session.

Madam, before giving my views on this Bill, I would like to go into the background of the articles considered before the Constituent Assembly. Madam, the amendment moved by hon. Member Shri R.R. Sahu for 117(A) corresponds to article 97 in the Constituent Assembly. The reference of article 112 has been given in the objects. But the procedure in respect of money Bill, according to Mr.

(Shri B. L. Podwor)

Sahu requires to be amended. It also relates to the present article 109 which corresponds to article 89 in the Constituent Assembly. This was much debated at that time also and the previous speakers have said and given a lot of details. I would not like to repeat them. But the amendment which was sought in the Constituent Assembly by the hon. Member Shri H.V. Kamath on 20th May, 1949 to Article 89 was to the effect that Money Bills should not be introduced in the Council of States and that it has to be introduced only in the House of People. It was said that it was not fin the nature of an amendment and so it was not moved by Shri H.V. Kamath. Again when the special provision regarding Financial Bill came up for discussion, Article 97 was taken up. Shri Kamath moved the Amendment Bill that such provision that the Money Bill be introduced in the Council of States be deleted on 10th June, 1949. It was said that this was only a repetition of the amendment which was debated on 20th May, 1949. So this amendment was also negated and the Constituent Assembly said that the Council of States must be given the power for the Money Bills. What is the background behind it ? The hon. Members have talked high about this House and I also join with them. Article 1 of our Constitution says, "India, that is, Bharat, shall be a Union of States" and this House being the Council of States has got that privilege of the Upper House and that credence has been given right from the beginning for working as a watch-dog for all the three pillars of the State—the Executive, the Legislature and the Judiciary. We debate, discuss and vote on almost all types of Bills and give our assent. Sometimes we withhold our assent and we send it back to the other House with amendments. This has happened a number of times. Madam, this House has always been given that much of a status that the Prime Minister was from this House at the time of Madam Indira Gandhi. At present also, we have got the Home Minister from this House, the Finance Minister from this House, Affairs the Minister of Parliamentary from this House and the Minister of Welfare all Cabinet Ministers So, I join with all the Members that the position of this House being the Upper House should be upheld. Hence that respect should always be given because it represents all the States and we represent more than the Members of the House of People and therefore we have got that much of respect. Now, what was the reason for not giving this power to the Council of States? The framers of our Constitution who were the stalwarts considered the Constitution of all the countries in the world and they took out the grain

from the chaff and framed the Constitution suitable to our culture, heritage and the respect of the nation. Madam, we have got another power in the Constitution, another provision to meet other situations, which hon'ble Sahuji has mentioned in the Statement of Objects and Reasons of this Constitution (Amendment) Bill, It is mentioned:

"The demands for grants are also required to be made to the Lok Sabha only. After the Lok Sabha votes on the demands and passes the Appropriation Bills, the Rajya Sabha comes into the picture. Recent happenings have, however, shown that these financial provisions are for normal times only. There is no doubt that the strings of the purse must be with the House elected directly by the people. But at the same time some contingencies may arise when the House of the People is dissolved or it is not possible for a regular Government to be formed which may present a regular budget in accordance with the articles mentioned above."

Then something is said in the second paragraph that Rajya Sabha is a continuous body and, therefore, it should be given the necessary powers.

My respectful submission would be that the framers of the Constitution gave full consideration to this aspect of the matter and we have a provision in Article 267 of the Constitution regarding Contingency Fund and this fund has been placed at the disposal of the President of India. I need not read out the whole of it. I need only say that this Article 267 coupled with Article 283 (1) and Article 360 (1) of the Constitu-tion takes care of all such situations for meeting which Sahuji has proposed the present amendment. The framers of the Constitution had made a provision whereby the custody of the Contingency Fund. payment of moneys into it, etc. was left to the President of India in case of any emergency, for meeting emergent situations when Lok Sabha is not there. Article 283 (1) provides that such funds like the Consolidated Fund, the Contingency Fund, the the financial transaction: shall be under the custody of the President and regulated by the rules made by the President. Under Article 360 (1) when there is a financial emergency, when there is a situation threatening the financial stability or credit of India or any part of the territory thereof, the President has got the rower to meet such exigencies. So, the provisions which hon'ble Sahuji throught to introduce now arleady exist in the Constitution.

In Part XX under Article 368 of the Constitution of India there is a special provision for amendment of the Constitu-

tion. Right from 1950 till date Parliament has passed Constitutional Amendments to the tune of 68 times. If we go through all the amendments from No. 1 to No. 68, We will find that there are only a few amendments which are in the nature of basic amendments of the Constitution such as amendment No. 42, No. 46, etc. So, only afew amendments are for amending the basic structure of the Constitution for which some formal things are required to be done. So, the Constitution is not required to be amended every now and then, especially when there is a specific provision already in regard to that.

Therefore, Madam, in this background, I would like to request, through you, Sahuji to reconsider his Bill. Since an amendment has been brought forward only to one provision, that is, article 117, and since the other amendments which are necessary with regard to financial powers have not been brought forward, even if this amendment is carried, it will not have the effect of giving full powers to the Council of States because that provision is till there, article 109 is still there, and the Council of States will not get any powers regarding Money Bills.

Therefore, Madam, I request Sahuji, through you, to reconsider his amendment.

With these words, I thank you for giving me thi: opportunity.

श्री मोहस्मर खलीलर रहमान (ग्रान्ध्र प्रदेश): मोहतरमा वाईस वियरमैन साहिबा, मेरे कुलीग मि॰ रजनी रंजन साह की जःनिब से जो कांस्टीट्युशन ग्रमेंडमेंट के लिए बिल पेश किया गया है उसकी मैं भरपूर ताईद करता हं। इस वजह से कि पः लिया मेंट के मायने होते हैं बोनों हा उसेज के, श्रपर हाउस फ्रीर लोग्नर हाउस, मगर इस वक्त हमारा जो कंस्टीटयुशन है उसमें फाइनांशल फवर्ज सिर्फ लोक सभा को दिए गए हैं धौर राज्य सभा को सही मायनों में किसी किस्म के फाइनाशल पावर नहीं है। इससे यही समझा जाएगा कि राज्य सभा को फाइनाशल पावर्ज में उतनी ग्रहमियत नहीं दी गई, उतनी इपार्टेस नहीं वी गई जितनी कि देना चाहिए था। ग्रापको यह मालूम होना चाहिए मेंडम, कि हमारा हाउस कोई नामीनेटेड हाउस नहीं होता जो हाउस है जिसको काउंसिल शांफ स्टेटस कहते हैं यह खुद भी एक इलेक्टेड हाउस है। जो पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिब्ज होते हैं वे हमारे इस को इलैंक्ट करते हैं। लिहाजा हमारा

ह. उस भी एक **इलक्टेड हाउस कहन।येगा।** जब हमारा हाउस भी एक इलक्टेड हाउस है और फिर हमारे जो वोटर्ज होते हैं, व वोटजे जो हैं यानी पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिक्स होते हैं या वह समझ ज।एगः कि उनमें पोलिटीकल काशसनस बहुत ज्यादा होती है घोर वह जो रिप्रेजेंटेटिक्स चनते हैं वह काफी सोच समझ कर हम लोगों का इतखाब करते हैं। लिहाजा इस हैसियस से हमको फाइनोशल पःवर्ज दिया जाना बेहद जरूरी हैं। मगर शायद दस्तूर बनाने दालों का जो मंशा था उस वक्त कि पता नहीं क्या बात थी कि उन्होंने जो है राज्य सभा को फाइनाशल पःवर्जनहीं दिया **भी**र सिर्फ लोक सभा को इसी वजह से पाइफ दी गई कि डाइरेक्ट पब्लिक की तरफ मे रिप्रेजेंटेटिब्स बाडी होती है, **लिहाजा** फाइनाशल पावर्ज उनको दी जानी चाहिए। इससे हटकर में एक बात और कहंगा कि यह राज्य समा जो है, **४ह कंटीन्म्र**स बॉडी होती है और राज्य सभा को कभी भी, किसी वक्त भी डिजॉल्व नहीं किया जाता धौर सेंटर में जब कभी कांस्टी-टयशनल कार्डासस हो जाती **है धौ**र लोकसभा का इलेक्शन छः महीने तक भी भी नहीं होता तो उस सुरत हमारा कट्टी एक काइसिस की ग्रष्टित्यार कर लेता है। इन कायसिस से बचने के लिए भी जरूरी है कि ग्राप राज्य सभा को पावर दीजिए जब राज्य सभा को इस बात के पावस है कि यदि लोकसभान होगो राज्यसभाकिसी भी स्टेट में प्रेसीडेंट रूल के लिए जोकि पाडिनेंस की शक्त में राष्ट्रपति जी की जानिबं से जारी किया जाता है, उस ग्राडिनेंस की राज्यसभा अपूर्व करती है लोकसमा की गैर-मोजदगी में तो क्योंन राज्य सभा फोयनेशियल पावसं दिए जायें ? देखा यह गया है कि जितने भी बजट पेश होते हैं, वह पूरे-के-पूरे बजट लोकसभा में पेश होते हैं और फिर इससे हटकर जो हमारी ग्रांट्स की डिमांड रहती है, वह भी लोकसभा में होती हैं। यहां एक कदम आने बढ़कर यह कहूंगा कि हमारे मोहतरम दोस्त रजनी रंजन साह जी ने ती इमरजेंसी केसेज में यह फरमाया है कि राज्यसभा को फायनेंसियल पावर्स जाये, मैं तो यह कहंगा कि

[श्री मोहम्मद खलिल र इहशाल] जिस तरह से दूसरे बिलों को ट्रीट किया जाता है यानी जोकसभा में जो बिल पास होता है तो उसे राज्य सभा में भी पास किया जाना चाहिए। उसी तह से भेरा यह भी कहना है कि हर बक्त की एक श्राम सुरते हाल में भी श्रगर फायनेंस बिल नोकसभा में पास होता है तो उस बिल को राज्य सभा में भी पास होना चाहिए। यह जो डिमांड्स होती हैं, उन डिमांडस की भी राज्य सभा द्वारा पास किया जाना चाहिए और जिस तरह से किसी दिल को गवर्नमेंट महसूस करती है कि उस बिल को सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाय तो लोकसभा में पेश करती है छौर कभी जब यह महसूस करती है कि वह राज्य सभा में पेश होना च हिए तो उसे राज्य सभा में पेश करती है। उसी तरह फारनेंस दिल को भी लोकसभा में भी वेश किया जा सकता है और राज्य सभा में भी पेश किया जा सकता है लिहाजा उससे यह होगा कि पालियामेंट का जो सही मखन है वह बनेगा धौर यदि समझा जाएगा कि कोई भी बिल जब पास होता है तो उसको लोकसभा धौर राज्यसभा दोनो की मंजुरी ताबाख्ते की न हो उस बक्त तक वह बिल पास नहीं समझा जाएगा। लिहाजा **मैं भ्रापके त**बस्सूत से दरस्यास्त करूंगा कि रजनी रंजन सक्ह सक्हर ने जो विल पेश किया है, उसके ताल्लुक से इंतहाई पंजीदगी के साथ हुकूमत गौर करे। खुद मैं तो यह कहुंगा कि यह जो विल है, इस बिल को एड।प्ट कर लीजिए धौर श्रगर कोई टैक्नीकल हिफीकल्टी हो रही है इस बिल को एडाप्ट करने में तो ग्राप इसी सेशन में एक बाजाब्दा विल लेकर श्राइए ताकि राज्य सभा को भी दही पावर्स दिए जाने चाहिए। मनी बिल्स के ताल्लुक से वही पावर्स दिए जायें जोकि लोकसभा को दिए जाते हैं यह दक्त की श्रहम तरीन जरूरत है और यह डेमोत्रेसी **धौर** जम्रियत का भी तकाजः है क्योंकि पालियामेंट के दोनों हाउसेस दो एवान है। इन दोनों एवानों को ही उतनी श्रहस्थित दी जानी चाहिए धौर कभीभी यह तसब्बर नहीं होना चाहिए कि एक हाउस, दूसरे हाउस से बड़ा है। लिहाजा यह जो तफावृत रखा गया है, जो फर्क रखा गया है, उस

फर्क को कम करने के लिए मेरा अपके तबस्मुत से हुकूमत से यह मतालवा है कि वह रजनी रजन साहू साहब के बिल पर निहायत संजीदगी से गौर करें धौर राज्य सभा को भी फायनेंसियल पादमें देने के ताल्लवा से गौर करें। शक्तिया।

المرى متعمل خليل البحمان (أندهرا برديش): معترسه رائس چیرمین صاحبه - میرے کلیک مستر رجلی رابعی ساهو کی جالب سے جو قانستی نوشن املا مدت ایلئے بل پیش کیا گیا ہے ۔ اسکی سین بهر پور تائيد كرتا هري اس وجيه سے که پارایمنت کے معلی فوتے هیں فاوتوں هاؤسيو کے .. اپير هاؤس اور لوور هاوس - مكر الموقت همارا جو كانستى تيوشن هے اسمين فائدينس پاور صرف نوک سیها کو دینے کیے هیں اور راجیه سبها کو صحیم معلوں میں کسی قسم کے فاڈیلیشیئل پاورز نہیں ھیں - اس سے یہی سمحجها جائيكا كه راجيه مهوا كو فالنيا فيلشكل ياورز صيب إتناي المهات نهین عبر گئی اتذی امهارقیدان نهیں دی کئی جتابی که دینا چاهائے تھا - آپکو یہ سعلوم هرانا چنهائے سینام - که همارا هاؤس کوئی ناميديتها هاؤس نهيل اهرتا عمارا جو هاؤس هے جسکو کاؤنسل آف التهيتس کهتي هين په خود پهي ایک الیکشیق هازس هے - جو پہلک کے ربرزیا تیٹئرز ہوتے عیں وا سارے هاؤس کو البکت کرتے هیں - الہذا همأرا هاؤس بهى أيك البكانية هاؤس كه اليكا - جب همارا هاؤس بهي اليكئية هاوس هي اور پهر همارے جو ووترز هوتے هيں راہ روترز جو ھیں ی<mark>علی</mark> پیلک کے جو

رپرريلتيتر هوتے هيں يا يه سعجها جائيكا دم إنسين باليتيكل كانقهسليس بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ جو رپوریلٹیڈو چاننے میں وہ کلوی سوے سنجهكو هم لوگون كا التضاب كوتے ھیں - لہذا اس حیثیت سے ھمکو فاليكينشيل بارركا ديا جانا بهحد لازمی هے - مگر شاید دیتور بلانے والون كا جو منشأ تها إمرقت كه یتا نہیں کیا ہاں تھی کہ انہوں نے جو هے راجیه عبها کو فاتهالمدشدُل ياورز نهين ديا اور صرف الوك سبها کر اسی رجیه ہے پاورز دس کئیں کھ ڈائریکٹ پیلک کی طرف سے رپرزیلٹیٹئر باتی ہرتی ہے اہدا فاتهلينشكل انكر دي جاني جاهيء اس سے معاکر میں ایک بات اور کہونگا کہ یہ راجیہ سبہا جو ہے ۔ کلنائی: بدوس باتی هوتی هے ارو راجعه سبها کو کهبی بهی کسی وقت بهی قرارو نهیں کیا جاتا اور سيناهر مين جب كهري بهي كانستي تيوشنل كرائسز هو جاتى هے اور لوک سبها کا الیکشن چهے انهیاء تک بھی نہیں ہوتا تو اس مورت میں همارا کلٹری ایک کرائسیو کی شکل اختیار کر نیتا ہے۔ ان کرائسیز سے بچلے کیلئے بہی ضروبی ہے که آپ راجیه سیها کر باور دیجها م جب راجیه سبوا کو اس یات کے پاورز هین که لوک سیها ته هو اتر راجعه سبها كسر بهى استيت مين پریسیدنت زوا کیلئے جو که أرةيليلس كى شكل مين راشتر يتى جی کی جا.ب ہے جاری کیا جاتا هے اس آرڈیلیٹس کو واردیہ سیھا اپیروو کرتی ہے۔ لوک مبدھا کی فير موجودگي سين تو کيون ته

راجیه سبها کو فائیلیلشکل پاورز دیگے جائیں - دیکھا یہ کیا ہے کہ جتلے بھی بجٹ پیش ھرتے ھیں وہ پورے يجنف لوك سبها مين يهص هويا ھیں اور پھر اس سے ھے کر ھمارے گرانٹس کی تمانڈ جر رہتی میں ولا بهی لوگ سبها میں هوتی هیں-یہاں میں تر ایک قدم آکے بوعکر یه کهونگا که همارے محکرم دوست رجلی رنجن الهو جی نے تو السرجلسي كيسيو مين يه قرمايا ه که راجهه سبها کو فائینیشتل یاور ديئه اجاليس - سين تو يه کهونا ا ج عرب سے دوسرے بلوں کو ٹریت کیا جاتا ہے یعنی لوک سببا سیں جو بل ياس هوتا هے تو اسے راجيه سبها مين بهي باس كيا جانا چاھئے - اسی طرح میرا کہنا یه بهی مے که هر اورات کی ایک مام صورتتمال مين يهى اكر فاليفيلس بل لوک سبها سین پاس هوتا هے تو اس بل کو راجیه سبها میں بھی ياس هونا جاهلے - يه جو قماندس عولی هیں ان قامالقس کو بھی راجياً سبها درارا ياس كيا جانا چاھئے اور جس طرح سے کسی بل کو گزرلیلی محصوس کرنی ہے کہ رس یل کو صرف رلوک سبها میں پیس کیا جائے تو لرک سبه میں پیمی کرتی ہے اور کہھی جب یہ متعسوس کرتئ ہے کہ وہ راہیہ سبہا میں پیھی ہرنا چاہئے دو اسے راجیه سبها میں پیس کرتی ہے -امر طرح فالدليدس بل كو بهي لوک سهها میں بهی پیش کیا جا ساتا ہے اور راجیه سیها میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے ۔ لیڈا اس سے یہ ہوگا کہ یالیدات " جو

Bill, 1992 [شري محمد خليل الا همان] صحیم مقبوم هے وہ بلے اور اگر سمجهاً جائيكا كه كوثى يهي بل جب ياس هوتا هے تو (١٨٠ لوك ١٩٩١ آور راجیه سپها دونوں کی منظوری تاوقتيكه نه إهو الموقت تك بل واس نهين سمعها جائها - ايذا میں آیکے توسط سے درخواست کرونکا که رجلی ولتین ساهر صاحب نے جو ہل پیش کیا ہے اسکے تعلق سے انتہائی سلجیدگی کے ساتھ حکومت غور کرے - خود سین تر یه کهونگا که یه جو بل هے اس بل کو ادایت کر لیجئے ارر اگر کوئی ٹیکلیکل تَفیکلٹی هو رهی هے اس بل کو اذایت کرنے میں تا ہاسی سیشن میں ایک باغادعاء بل لیکو آیائے تاکه راجهه سبیا کو بهی وهی پاور دیئے جانے جاھئے ۔ ملی بلس کے

هاؤسیز دو ایوان هیں ان دردرن اوائرں کو بھی اتلی اهمیت دی جاتی چاهائے ارر کیھی بھی یہ تصرر نہیں هونا جاءئے که ایک هاوس دوسرے هارس سے بڑا هے لہذا یہ جو تفاوت رکھا گیا ہے جو فرق رکھا گیا هے اس فرق کو کم کونے کیلئے میرا آپکے توسط سے حکومت سے یہ

مطالبة هے كه ولا رجابي رائجن ساھو

صاحب کے بل پر نہایہ سلجهدای

سے فور کرے اور راجیہ سبھا کو یعی فالیلیلشکل یاورز دیلے کے قعلی سے

تعلق ہے رہی پاورز دیئے جائیں

جوکه لوک سببا کو دیگے جاتے ہیں

یه وقت کی اهم ترین ضرورت هے اور

يه ديموكويسي أور جم وريات كا يهي

تقاضه هے کیونکه پارلیمامت کے دونوں

غور کرے - شکریہ -

श्री शांती त्यागी (उत्तर प्रदेश): मैंडम वाइस चेयरमैन, माननीय साह जी ने जो विधेयक संशोधन का पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। महोदया, इसमें वहस बहुत आगे बढ़ गई है, जबिक साह जी ने, जहां तक मैं समझ पाया हूं, यह संशोधन रखा है कि अगर देश में, संसद में कोई विशेष परिस्थिति पैदा हो जाए, हाउस डिजोल्व हो जाए लोग्नरहाउस या फिर केग्रर-टेकर गवर्नमेंट हो या धौर कोई पेचीदा कंस्टीट्युशनल मामला बन जाए, जहां कि बजट पास न हो सके, मनी बिल पेडिंग में रहे और एक कंटनजेन्सी उठ जाए तब क्या किया जाए? इसी सुरत में यह विधेयक यह मांग करता है। इसमें यह प्रार्थना की गई है मंत्री जी से, कि फिर राज्य सभा को यह ग्रधिकार देदिया जाए कि वह वहस करे उन बिलों पर और उनको स्वीकार करे।

महैंदिया, यह बहस होते-होते यहां पहुंच गई कि एक दूसरी कंस्टीटयूएट स्रसेम्बली हो, जो नया संविधान बनाए। स्रब स्राप गौर फरमायें कि पिछले वर्षों में, चालीस-बयालीस सालों में कितने संशोधन हमारे संविधान के संदर हुए हैं स्त्रीर क्यों? मैंडम, पंडित जी कहा करते थे कि समर एक इस साल के बच्च को स्राप एक साल के बच्चे का फाक या कमीज पहनायें या कोट पहनायें तो वह पहना नहीं पायगे भीर वह फट जाएगा। उनका मंगा यह या कि कभी भी कोई चीज लिखी गई है, तो वह पत्थर की लकीर नहीं बल्कि उसमें चेन्जेज होंगे, मोडिफिकेशन होंगे, तरमीमें

होंगी, तब्दीलियां होंगी श्रौर जैसी परि-स्थितियां होंगी उसके ताबिक मुबह डाक्यूमेंट

में, चाहे वह संविधान हो या **धौ**र कुछ हो, वह लिखा जाएगा । इसीलिए यह

परिवर्तन किए गए हैं। श्रव वे कितने संशोधन हो चुके हैं, यह तो ठीक से याद कहीं है।

मैंडम, यह जो विश्वेयक है, यह ग्रपने तौर पर उन्होंने पेश किया है, मगर यहां पर यह बहस उठी है कि कौनसा सपन बड़ा है। मैं कहंगा कि यह बहस बेकार है और यह ठीक भी नहीं है। यह मैं इसिलए कह रहा हं कि देश के 80 करोड लोगों ने लोगर-हाउस को चना है धीर धापने कहा है कि हमारे देश के करोड़ों निवासी, जो वोटर हैं, उनमें ग्रनपढ हैं, पढ़े-लिखे हैं, देहात के भी हैं, शहर के भी हैं, वृद्ध भी हैं, श्रीरतें भी हैं, ट्राइबल भी हैं, तमाम ने उन्हें चुना है भापने कहा कि वही सोवरन है पीपल, तो उनके चुने हुए हाउस को किसी भी निगाह से छोटा समझे, यह ठीक नहीं हैं। इससे कल को बड़ा झगडा भच जःएगा... (ब्बबधान)

श्री रजनी रंजन साह (बिहार) : ऐसा नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री शांति स्थाधी: मैं श्रापको नहीं कह रहा हूं, श्रापके विधेयक को नहीं कह रहा हूं। श्रापके विधेयक का मैं समर्थन कर रहा हूं श्रापने बड़े श्रुम्छ ढंग से यह संशोधन रखा है। मंत्री जी, मुझे मालम है कि श्राप स्वीकार नहीं करगे, लेकिन श्राप यह श्राध्वासन तो वीजिए कि कम से कम धारत सरकार इनके ऊपर विचार करेगी। मुझे मालूम है श्राप स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन श्राप हह है कि श्राप इस पर विचार करें।

मैंडम, देश में परिस्थितियां बदल रही हैं धौर पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं देश में, सरकार में पालियामेंट में, वह ग्रापको मालूम है और उसी के मढ़े-नजर मैं समझता हूं कि साहू जी ने बहुत टाइमली, बड़े सामयिक ढंग से यह संशो-धन इस सदन में पेश किया है।

मेंडम, यह भें आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप सुनिए, बहुत अधिक अन्तर पैदा किया है ब्यूरोकेसी ने । मूझे मालूम नहीं, आपकी स्टेट में क्या है, मगर उत्तर प्रदेश में जो नौकरशाह है, जब कोई राज्य सभा मेस्बर किसी अधिकारी को बुलाता है तो वह कहता है कि अभी टाइम नहीं है, मैं आऊगा किसी वक्त दर्शन करने श्रीर जब लोकसभा का मेम्बर उसे बुलाता है तो वह साईकिल पर भी चढ़कर जाता है। यह ग्रन्तर इन्होंने पैदा किया है मैं यह कह रहा हूं कि यह अंतर पब्लिक में नहीं है, पब्लिक में तो ब्राप एम० पी० हैं, वह भी एम० पी० हैं, मगर यह ब्यरोकेसी ने अंतर पैदा किया है। क्यों ? क्योंकि में समझता ह कि लोकसमा का जो मेम्बर है; श्रगर उनकी बात नहीं मानी तो उसको लगता है कि दो हजार आद-मियों का जुलुस ग्रापके दरवाजे पर डःल देगा, चाहे वह डी०सी० हो, एस० एस०पी० हो, डी० ग्राई० जी० हो । हम राज्य सभा के लोग भी लोगों में जाकर मिलते हैं, किसानों में रहते हैं, मजदूरों में रहते हैं ध्रौर सब जगह काम करते हैं। मगर, वह तो समझते हैं कि यह तो विधा-यकों के जरिए चुने गए हैं। चुने जरूर गए हैं, लेकिन विधायकों के जरिए धौर इसलिए इनका काम नहीं है कोई बड़ा प्रदर्शन करने का । यह तो अय्रोकेसी का अपना एक अन्दाज है और वह एसः कर रहे हैं।

मैडम, मैं यह कहना चाहता हं ग्रापके जरिए से कि इस विधेयक पर हमारे मान-नीय सदस्यों को भी, सरकार को भी विवार करना च।हिए क्योंकि एक सिच्-एशन पहले उठ चुकी है और अपने देखा क्या हुआ। यह ठीक है, जैसा भ्रभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रेसीडेण्ट को ग्रधिकार है, कण्टनजेन्सी फण्ड है उनके पास और उसका कंटीजेंसी फंड पर भी ग्रधिकार है, बात ठीक है। लेकिन ग्रगर इस सिच्एशन में राज्य सभा को भी यह दायित्व या ग्राधिकार ग्राप दे दें तो वह कोई बुरी बात नहीं होगी। सिर्फ एक कंटीजेंसी मागा जा रहा है, परमानेन्टली नहीं मांगा जा रहा है। सदन की गरिमा को या उसके अधिकारों को या उसके बडप्पन को छोटा करके नहीं मांगा जा रहा है। सिर्फ इसलिए कि ग्रगर ऐसी स्थिति देश में उठे तो उसमें ग्राप यह स्वीकार करें कि इस सदन में भी वह राइट हो जाए कि हम उस पर बहस करें धीर छसे पास करें।

श्री शांति त्यागी

मुझे श्रीर कोई विशेष बात नहीं कहनी है, बात बातें या चुकी हैं ग्रीर में मत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इसको स्वीकार तो आप नहीं करेंगे लेकिन ग्राज दुनिया बहुत बदल गई है, सोवियत युनियन ट्ट गया, आप माई०एम०:एफ० के पास वले गए, आप गेहं की मांग कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं, पालिसी को लिबरल बना रहे हैं, इसीलिए कि नई सिचएशन पैदा हो गई हैं धौर इसीलिए मेरी अध्यस मांग होगी कि स्नाप इसके ऊपर भी विचार करें। धन्यबाद।

श्री सुरेश प्रचौरी (मध्य प्रदेश) : माननीया उपसभाध्यक्ष महोदया, हमारे विद्वान सदस्य भाई साह जी जो संविधान संशोधन विधेयक 1991 लए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुग्रा हूं जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि कतियय*्मामलों* में राज्य सभा को विमोध ित्तीय समितयां प्रदान की जाएं।

महोदया, हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने जब संविधान की संरवना की थी तो यह जिल्कुल कल्पनः नहीं की थी कि हमारे देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित होगा जिसमें ग्रस्थिरता रहेगी धौर जन प्रस्थिरता रहेगा राजनीतिक रूप से नो ज्वनिश्चय की स्थिति रहेगी और उस श्रनिश्चय की स्थिति में निर्णय लेने में कई प्रकार के संवधानिक संकट उत्करन होंगे, कई अकार के ब्यवधान पैदा होंगे। जब हम उन पर गौर करते हैं इंसतो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हमारे देश में जब राजनीतिक ग्रस्थिरता ग्राई तो कई बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि चाहते हुए भी हम वांछित निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाए । कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां हमारे देश में पिछले दिनों देखने को मिलीं जब जिन सरकारों का गठन पांच साल के लिए किया गया था, वे सरकारें पांच साल काम नहीं कर पाई धौर ऐसी स्थितियां निर्मित हुई कि वे बीच में ही टूट गईं। सरकार चली गई लेकिन बीच में जो सर्वेधानिक संकट उत्पन्न हुआ उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे सन्धी श्री साह4

ैं जी ने ऐसी व्यवस्था करने की**ः प्रा**वश्यकता महत्रुस की हैं कि राज्य सभा को भी ं वित्तीय शक्तियां प्रदान की जनी चाहिए **धौ**र इन प्रक्तियों को प्रदान करने से राज्य सभा को वे अधिकार प्राप्त होंगे जिन अधिकारों का उपयोग करते हुए राज्य सभा समय-समय पर फाइनेशियल डिसीजन ले सकती हैं और उसी को दिष्टिगत रखते हुए जो यह बिल प्रस्तृत किया गया है, वह सामयिक है, वह सामधिक हैं, धौर उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना बहुत ग्रावश्यक है।

महोदया, म्राटिकल 115 थीर 117 की जब व्याख्या की जाए तो उसके ग्रनसार दित्तीय महमलों की प्रक्रिया को अधिकथित करते हैं और ग्राटिकल 265 भीर 266 में भी उल्लिखित है कि किन परिस्थितियों में फाइनेंशियल पायर्स हाजस ग्राफ लाईस धौर राज्य के सीक्रिक्त हैं। 1909 में जब फाइनेंशियल बिल रिजेक्ट किया गया था तो पालियामेंट एक्ट 1911 पास किया गया था और ऐसी व्यवस्था की गई थी कि पालियामेंट यानी कि लोक सभा, राज्य सभा भौर प्रेजिडेंट श्राफ इंडिया, जब कभी फाइनेंशियल काइसिस होती हैं तो अर्जिडनेंस जारी कर सकते हैं। भ्राटिकल-117 में भी उल्लेख हैं कि जो प्रयोजल न्य टैक्स के लिथे दिये जायें वह सरकार की तरफ से होना चाहिये और सरकार जो उत्तर-दायी होगी, वह सदन की होगी, जिसमें कि लोक सभा और राज्य सभा मामिल है और यह सदन जनता के प्रति उत्तरदायी होगः, यानी इमारे संविधान में व्हस बात की व्यवस्था है कि जनता सर्वोपरि हैं, जबिक इंग्लैंड में ऐसी व्यवस्था हैं कि जो कःमर्स है वह ग्रांट्स करते हैं ग्रीर जो एल्डर्स हैं वह ग्राट्स को स्वीकृति देते हैं। गवर्नमेंट ग्राफ चुंडिया के 1935 के एक्ट के अनुसार जो फाइनेंशियल एन्झल स्टेट-मेंट हैं वह दोनों सदनों में प्रस्तत किया जाता है। लेकिन हमारे यहां संविधान में ऐसी व्यवस्था की गयी है कि जो बजट है वह प्रस्तुत तो किया जाता है लेकिन प्रमुख रूप से यह लोक सभा में रखा जाता है और यहां उसकी कापी टेबिल पर रखी जाती है। महोदया, हमारे देश से ध्रप्रेजी राज चला गया लेकिन ध्रप्रेजी

16)-Introduced

प्रथा--ब्रिटिश सिस्टम ग्राज भी। मौजद है, जी हमें समय-समय पर पुरामी दासता से हम मुक्त नहीं हुये हैं, इस बाल का ग्राभास कराता है ग्रीर यह जो सब प्रावधान सिया गया है वह ब्रिटिश संसदीय प्रणांकी से लिया गया है जहाँ हाउस ग्राफ कार्मस कि हाउस अन्य लाईस के मकाइने बहत ग्रधिक जो वित्तीय शक्तियाँ हैं, वह दी गर्यों हैं। महोदया, राज्य सभा के सदस्य पब्लिक एक उट्स कमेटी के सदस्य हों सर्वाते हैं, पब्लिक प्रडरटेकिंस के सदस्य हो सकते हैं, लेकिन एस्टीमेंट कमेटी के सर्दर्भ नहीं हो सकते, यह ग्रत्थन्त दुर्भीन्यजनके धीर हास्यास्पद है घीर जब हम इसे सर्विधान संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो निष्चित रूप से हमें इस बात पर भी विचार करता चाहियें कि जब राज्य सभा के सदस्य इन दोनों समितियों के सदस्य हो सकते हैं तो एस्टी-मेट कमेंटी के सदस्य क्यों नहीं हो सकते। सर्वोच्य न्यायालयं के जो भतपूर्व न्यायाधीश श्री जसवत सिंह हैं, उन्होंने अपने निर्णय में इस बात का उल्लेख किया था कि राज्य सभा की स्थिति हाउस ग्राफ लाईस जैसी निहत्वहींने नहीं है। राज्य सभा के जो सदस्य हैं वे फाईनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं । राज्य सभा के सदस्य प्रणव मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर रहे । यशवन्त सिन्हा जी, सामने बैठे हैं, वे फाइनेंस मिनिस्टर रहे । ग्राज जो फाइनेंस मिनिस्टर डा. मनमोहन सिंह और स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रामेश्वर ठाकुर जी हैं, वे राज्य सभा के सदस्य हैं। लेकिन राज्य सभा को वे वित्तीय शक्तिया नहीं प्रदान की जा रही हैं जिसके तहत हम उन शक्तियों का प्रयोग करके जब कोई ऐसी ग्राकस्मिक स्थिति निर्मित होती है कि लोक सभा डिजोस्य की जाये तो राज्य सभा में हम किसी भी प्रकार का फाइमेंशियल जिल पास कर सकते हैं । जब फाइनेंस मिनिस्टर राज्य सभा दे सकती है तो फाइनेशियल बिल पास करने के लिये वह शक्तियां प्रधान क्यों नहीं की जाती, संविधान में संशोधन क्यों नहीं किया जा सकता, ब्राज इस बात पर गौर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राज्य सभा के जो भृतपूर्व महासिचिव मि. बैनर्जी हैं, उनके अनुसार भी संसदीय लोकतंत्र की सफलता सुनिष्चित करने के लिये यह श्रावश्यक है कि दोनी सदन मिलकर काम करें। लेकिन इमरि क्हा यह दुर्भीयेजनक बात है कि यह बताया जाता है कि लोक सभी के लीग जनता द्वारी चूने गये होते हैं। लेकिन जनतः द्वारा जो प्रतिनिधि चूने जाते हैं टन प्रतिनिधियों के हारा राज्य समी के । सदस्य चुने जाते हैं इसलिये हमकी धीर उनकी बराबरी की नजरों से देखा जाना जरूरी है घीर हमेंकी उन्हीं प्रकार के अधिकार दिये जाने चाहिये जो कि स्रोक सभा को प्रदान किये गये हैं। हमें केवल ब्रिटिश सिस्टम का पूर्णरूपेण अनसरण नहीं करना चाहियें। बांधे होकर हमें उसी रीति पर नहीं चलना च हिए बाँत्क समय और परिस्थितियों की म्रावस्थकता के ग्रन्मार हमें उनको केवल पथ-प्रदर्शक न नः लकर उनमें तब्दीली पर विचार करनः चाहिए धौर संविधान में संबोधन करना चाहिए। उस अ।वश्यकता को हमारे विद्वान सदस्य भाई रजनी रंजन साह जी ने म्राज महसूस किया है। राज्य समा एक कटीन्यूग्रस बाडी है भीर यह डिस्साल्व नहीं होती है जबकि लोक सभा डिस्साल्य होती है और होती रही है। लेकिन ग्राटिकल 392 सीर 356 के मनुसार राज्यसभा, लोक सभा के विषटित होने की दशा में जारी घोषणाझों की सर्वधि बढ़ा सकती है । ग्रतः वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए इस प्रकोर की शक्तियां राज्यसभा को दिया जाना ग्राज के समय की ग्रावं-श्यकता है। इस बारे में हमको गंभीरता से विचार करना चाहिए । जब एक सरकार नहीं रह पाती है तो उस नहीं रह पाने की श्रवस्था में जब लोकसभा डिस्साल्व हो जाती है, उस समय राज्यसभा को इस प्रकार की पावर्स दी जानी स्नावश्यक है ताकि वह किसी भी प्रकार के वित्तीर्थ मानलों के संबंध में निर्णय ले सके और फाइनेंस बिल जब हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकते हैं तो यहां उनको प्रस्तृत क्यों नहीं किया जा सकता इस बारे में हमकी विचार करना चाहिए और ग्रावश्यकता इस बात की है कि समय-समय पर जब हमारे देश में राजनीतिक ग्रस्थिरता हुई, भायिक संकट हुआ तो हमने विदेश से

[श्री सुरश पचौरी]

लोन लिया, आई० एम० एक० से लोन लिया । जब सरकार डिस्साल्व हो जाती है तो उस कंडीशन में हमको वह सारी वित्तीय शक्तियां प्रदान किया जाना आव-श्यक है ताकि हम राष्ट्र का सम्मान कर सकें, सरकार का सम्मान बना रहे और जब हम इस प्रकार के निर्णय ले सकेंगे, राज्यसभा को जब यह ताकत मिल जाएगी, यह निर्णय लेने का अधिकार मिल जाएगा तो निश्चित रूप से विदेशों में हमारी साख रहेगी, राष्ट्र का सम्मान भी बना रहेगा ।

इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए ग्राज समय की श्रावस्थकता है कि हम राज्य सभा को भी वित्तीय श्रीधकार दें, वित्तीय निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें शौर इसको दिष्टिगत रखते हुए हमारे साथी साहू जी ने जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तत किया है, ये उसका समर्थन करता है।

श्री राम अवधेश िंह (बिहार): उप-सभाध्यक्ष महोदया, यह जो संशोधन पेश किया है मध्ननीय साह जी ने, यह इस बात का प्रतीक है कि हम पुरानी सोच से कुछ ग्रन्तगहटकर नयी सोच की भ्रोर बढ़ रहे हैं । चूंकि हमारा देश बहुत नकलची है इसलिए यह पुरत्नी चीजों को ढोते चलने में, पुरानी परपराध्यों को की साथ घसीटने में आनंद नेता है। देश बाद ग्राज ग्रगर हम के ध्यान से देखें तो लगता है कि भ्रंग्रेज भारत की कुर्सी से चले गए हैं लेकिन उनकी शक्ति यहां है। जो कानून 1857 के विद्रोह के बाद बनाए गए थे चाहे 1862 में; 1865 में, 1875 में, इंडियन पीनल कोड, इंडियन किमिनल प्रोसीजप कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, पुलिस ऐक्ट, पुलिस मैन्य्रल, यह सारे कानून भारतीयों को दबाने के लिए बनाए गए थे धौर ब्राजादी का **दमन करने के लिए बनाए** गए थे लेकिन वे सारे कानून आज भारत को दबाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहुत छोटे-मोटे परिवर्तन सी. ग्रार. पी. सी. में हुए हैं लेकिन सारे कानून ज्यों के त्यों, यथावत चल रहे हैं।

तो मैं यह कहनाचाहता हूं कि हमें पुरानी चीजों को ढोते रहने की भ्रादत पड़ गई है इसलिए जब कहीं से रोशनी। श्राती है तो हम चाहते हैं कि पूरे परि-प्रेक्ष्य में बातचीत हो । यह संविधान जो भारत का बना है, 1922 में महात्मा गांधी जी ने स्पौर 1935 में पंडित जवाहर-लाल नेहरू ने कांग्रेस अधिवेशन में कहा थाकि भारत काजो संविधान बनेगा वह जो कास्टीट्युएंट ग्रसंबली चुनी जाएगी, वह सीधे जनता से चुनी जाएगी । जनता से चनी हुई ऐसंबली ही आजाद भारत का संविधान बनाएगी । लेकिन बदकिस्मती यह हुई यहां जो कांस्टीट्ययट ऐसेबली बनी वह नामिनेटेड कास्टीट्यूयेंट ऐसेंबली बनी। उसने संविधान बनाया । पता नहीं उसके दिमाग में क्या था। पता नहीं किन कारणों से उन्होंने भारत को संघीय गण-राज्य बनाया । उन्होंने कहा भारत संघीय गणराज्य है लेकिन इसके जो कील, पाए उन्होंने बनाए, जो ढांचा बनाया वह बना दिया एकात्मक संविधान का । श्रमरीका एक संघीय देश है, वहांपर फैडरलिज्म है। तो जो सही माधने में संघीय देश है वहां का सेकिंड चेंबर बहुत पावरफुल होता है। Tle second chamber is the most powerful chamber in the world. जैसे सीनेट है अमरीका का, वह माना जाता है दुनिया में, संविधान में, कि

the Senate is the second most powerful chamber in the world.. चूंकि सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, हर राज्य के प्रतिनिधि उसमें होते हैं इसलिए वह सबसे ज्यादा पावरफुल है । अमरीकन सविधान में हाउस भ्राफ रिप्रजन-टेटिव से ज्यादा पावरफुल सीनेट है जो वहां का सेंकिंड चेंबर है। वहां संघीय व्यवस्था है, राज्यों का प्रतिनिधित्व है **धौर यहां पर राज्यों का प्रतिनिधि**त्व करने वॉली जो संस्था है राज्य सभा जिसको कहते हैं, इसको भ्राप सेकिंड ग्रेड का बनाकर रखते हैं। तो यह संघीय ढांचे का रूप नहीं है। यह तो एकात्मक रूप है। इसको सबार्डिनेट चेंबर बनाकर ग्रापने रखा है। आप कहते हैं कि हाउस आफ ऐल्डर्स हैं राज्य सभा । हाउस ग्राफ

लार्ड्स तो दूसरी जगह की भाषा है,

द्यंग्रेजों की भाषा में है। मैं कह रहा हूं

कि इसको ग्राप हाउस ग्राफ ऐल्डर्स कहकर मौखिक रूप से इसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं लेकिन अधिकार देने के बारे में इसको ग्राप किबल करते हैं, सर्वाडिनेट चेंबर बनाकर रखते हैं। यह बात अधिक दिन चलने ाली नहीं है। संघीय ढांचे के रूप में ग्रगर भारत को रहना है तो सेकिड चेंबर को ग्रापको मजबूत बनाना होगा।

साह जी ने तो बहुत छोटी बात कही है कि इसको वित्तीय अधिकार मिलना चाहिए। वित्तीय अधिकार तो मिलना ही चाहिए, लेकिन नियंत्रण का अधिकार इसका ज्यादा होना चाहिए । पिछले दिनों ऐसी व्यवस्था थी कि जिस पार्टी की हक्मत दिल्ली में होती थी उसी पार्टी की हक्मत राज्यों में भी होती थी। लेकिन अपने वाले दिनों में ऐसा होने वाला नहीं है। किसी राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार होगी किसी राज्य में किसी पार्टी की सरकार होगी श्रौर दिल्ली में किसी पर्टी की सरकार होगी । अब कोश्र**लिशन** गवर्नभेंट बनेगी। तो जैसे कोग्रालिशन गवर्नमेंट फांस में ग्रौर जर्मनी में बन रही है उसी तरह से यहां भी वर्नेगी । उस स्थिति में राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए जो संस्था है उसका पावरफुल होना जरूरी है। ऐसी स्थिति से पावरफुल सीनेट नहीं बनेगी तो आगे चलकर यह संघीय ढांचा गड बड़ाने लगेगा और फिर टकराव की शक्तियां और ज्यादा जोरों से उड़ेंगी। यह बात अभी भी उठ रही है। दिल्ली में जिस पार्टी की हकुमत है उस फर्टी की सरकार अगर सूर्व में 🚒 हैं है तो उस सूबे के सन्थ दिल्ली की सरकार नाइंसाफी करती है। संसाधनों के बटवारे में श्रौर भी कई चीजें हैं जिनके बारे में उनके साथ भेदभाव होता है : इसलिए यह भ्रावण्यक है कि इस संस्था को मजबत बनाया जाए : दो-तिहाई बहमत जरूरी है संविधान में संशोधन करने के लिए। लोकसभाने 1989 में पंचायती बिल पास कर दिया था लेकिन राज्य सभा का म्रालग से मधिवेशन बुल या गया 13 अक्तूबर, 1989 को और राज्य सभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया: राजीव गांधी जी ने जो पंचायती राज का ढोल पीटा

या वह खत्म हो गया । कहने का मतलब यह है कि पास पावर थी इसलिए उनके ढोल को खत्म कर दिया । इसी तरह से ताकत इस संस्था में ग्राये ।

ग्राने वाले दिनों में एक सवाल उठ रहा है चारों तरफ से कि यह ढीला-ढाला संघ होना चाहिए, इतना कठोर संघ नहीं होना चाहिए । सारी शक्तियां दिल्ली में ही केन्द्रित हो गई हैं । इसका विकेन्द्री-करण नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से भी राज्य सभा को ज्यादा ताकत मिलनी चाहिए ग्रौर वित्तीय मामलों में तो ग्रलग रखने का कोई सवाल ही नहीं है। जैसा तैंने शुरू में कहा हम नकलची बहुत हैं। हम बहुत क्रांतिकारी विचार लेकर चलते हैं लेकिन उसे व्यवहःर में नहीं **लाते हैं**। घर में बड़ी-बड़ी बात बोलते हैं, मंच पर बडी-वड़ी बातें बोलते हैं लेकिन व्यवहार में बिल्कुल उलटा, करते हैं, वचन में हम राजा हैं भ्रौर व्यवहार में रंक हैं । जैसे नारा है, यहां संसद में भी कहीं न कहीं लिखा होगा-वसुधेव कुटुम्बकम । सारी वस्धा एक परिवार है लेकिन हरिजनों को मन्दिर में नहीं अने देंगे। जो ग्रछ्त हैं उनको बर**बर** में **बैठ**ने नहीं देंगे । बैठेंगे तो पीटेंगे । व्यवहार में बहुत दिकयानसी हैं। जैसे विकटोरिया क्रास की पदवी वीरता के लिए अंग्रेजों के जमाने में दी जाती थी । इसे वी० सी० यानी विक्टोरियः कास कहा जाता था । वह बी० सी० शब्द अभी भी चालू है यानी वीर चक्र । ब्रिटिश लोगों का यह शब्द ज्यों कः त्यों हमने रखा हुन्ना है । इसमें परिवर्तन नहीं लाये । नया शब्द गड़ लेते, ग्रपना दिमाग लड़ा लेते जो क्या था । पूरानी वासी चीजों को बनाये रखने की हमारी ग्रादत बनी हुई है। जो 1935 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट है वह ज्यों का त्यों है । जो थोड़ा बहुत शब्दों का हेर-फेर हुग्रा है वह इसलिए हुग्रा कि इस संविधान की जो सभा थी वह चुनी हुई सभा नहीं थी। कई बार इस सदन में में मांग कर चुका हूं ग्रौरु श्रब समय या गया है कि नई केस्टीट्युट असेम्बली चुनी जाए । इसमें जो मजदूर क्लास है. हरवाह, चरवाह, कुमेरा हैं उनके प्रतिनिधि

[श्री राम अबधेश सिंह] जब इसमें अप्रयोगे तब भारत का असली संघीय संविधान बनेगा ग्रौर उसमें गरीबों के लिए, हरवाह, चरवाह ग्रौर कुमेरा के लिए सूरक्षा की व्यवस्था होगी । उसकी प्रगति की व्यवस्था होगी । भ्राज यह पंजीपतियों का पाकेट बक बन कर रह गया है । पूजीपति जब चाहे अपने हित में परिवर्तन करा लेते हैं पर्दे के ग्रंदर बैठकर । लेकिन व्यापक राष्ट्रीय हित में, जनहित में कोई बात होती नहीं है । में समझता हुं कि इसमें कई चीजें साथ-साथ जोड़ी जाएं । क्योंकि इन्होंने जो संशोधन रखा है बहुत लिमिटेड संशोधन रखा है । इसके बाहर हम बोल नहीं सकते लेकिन ग्राउट-लाइन दे सकते हैं। हम ग्रपनी सोच में बहुत तकियानुसी हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं ब्रीच ग्राफ प्रिविलज का। हमने नियम बना र⁄दाहै कि किसी ग्रफसर ने किसी माननीय सदस्य को श्रपमानित कर दिया । यहां नोटिस देते हैं ग्रौर चेयरमैन साहब उसको लिखते हैं। व लिखते हैं कि क्या तुमने अपमानित किया ग्रौर वह साफ कह देता है कि नहीं किया । हमने कहा कि उसने दो थप्पड़ मारे, लेकिन वह कह देता कि हजर, हम कहां मारे हैं । हमारी दुर्दशा तो ऐसी होती है। इसलिए इन नियमों में तबदोली होनी चाहिए । इसलिए जब मेम्बर ग्राफ पार्लियामेंट बोलता है तो उसकातो विश्वास नहीं किया जाता है **ग्रोर नौकरशाह पर विश्वास** कर लिया जाता है। वह लिख देता है कि हमने श्रपमानित नहीं किया । हमारा सोच बहुत प्राने इंग से चल रहा है। इसलिए कई चीजें ऐसी हैं जिन पर हम लोगों को नये ढंग से सोचना होगा और इसके लिए इनका जो संशोधन है, मैं समझता हूं कि वह काबिले तारीफ है। संधान में जो 249 घारा है उसमें केवल राज्य सभा को पावर्स है, लोक सभा को पावर्स नहीं है। इसलिए भ्रगर हम व्यापक संशोधनों की बात करें और अगर हमारी बात पर क्लाजाय और कुछ सदस्य तैयार हों तो हम चाहते हैं कि संविधान में बहुत मौलिक परिवर्तनों की जरूरत है । केवल डैतनी बात नहीं है कि राज्य सभा की विशीय अधिकार मिल जायें, यह तो बहुत

साधारण बात है । मैं चाहता हूं कि व्यापक परिवर्तनों के लिए सरकार राजी हो ग्रौर देश तैयार हो ग्रौर पूरे के पूरे संविधान को रिकविस्ट किया जाय । एक नई कांस्टिट्येएंट एसेम्बली बने जो नये ढंग से संविधान बनाये और फेडरलिज्म को मजबती दे । इस सविधान में ताकत नहीं है। ऐसे दिन भी ग्रा सकते हैं जब संघ की एकता को बरकरार नहीं रख सकेगा क्योंकि यह डेढ टांग की सरकार है, डेंढ खम्मे की सरकार है। एक तो केन्द्र है ग्रौर ग्राधा राज्य है । शेर की स्थिति केन्द्र की हो गई है ब्रीर सियार की स्थिति सुबों की हो गई है। शेर चाहे तो सियार को मार देगा ग्रौर जिले की स्थिति तो चुहे की हो गई है। जब चाहे उसको **मार दि**या जा सकता है । जब तक चौखम्भे राज्य की व्यवस्था नहीं होगी तब तक जमुरियत की इमारत खडी नहीं की जा सकती है और यह देश मजबूत नहीं हो सकता है। यह जो धारा 356 है इसके अन्तर्गत किसी भी चुनी हुई राज्य सरकार को खत्म कर दिया जाता है । जब चाहते हैं, कलम की एक नौक से चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया जाता है । सूबे को जो सरकार होती है वह कलम की एक नौक से किसी चुनी हुई जिला पंचायत को, चनी हुई कार्पोरेशन को खत्म कर देता है। इसी प्रकार से जिल कलेक्टर कलम की एक नौक से ग्राम पंचायत को खत्म कर देता है । मतलब यह है कि सेन्ट्लाइजेशन भ्राफ पावर्स ऐसा हो गया है कि जिसके जरिये से देश में जमरियत खत्म हो गई है। हमारी मान्यता है कि जब तक<sup>्</sup> जिले में कलेक्टर रहेगा, यह खंखार जानवर रहेगा, तब तक जमूरियत नहीं रह सकती है। यह खुंखार जानवर बनाया गया था सन् 1857 में हिन्द्रस्तानियों को दबाने के लिए भौर उनको खत्म करने के लिए । इसलिए जब तक ये तमाम चीजें सवि-धान में रहेंगी तब तक सही मायनों में जमुरियत लागू नहीं हो सकती है । इसमें सधार तब तक नहीं हो सकता है जब तक पुरे तौर पर नई संविधान सभा का गठन नहीं होता है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Dr. Sivaji. Just make a beginning.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Madam, while supporting the Bill I would say I hope the hon. Member will not withdraw the Bill in the meanwhile.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): It is 5 o'clock, You will continue next time.

5. 00 P. M.

RE. PAPER LAID ON THE TABLE BY FINANCE MINISTER ON 27-2-92—CONTD.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam Vice-Chairman, I must... (Interruptions)...

डा० रस्ताफर पाण्डेय: मैडम, 5 बजे तक सदन चलता है, इस परम्परा को कायम रखिये ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I know that the Business Advisory Committee has not taken any decision. But let me hear the Leader of the cpposition.

द्वा० रत्नाकर पाण्डेय: श्राज मैडम, स्रोगों को बाहर जाना है ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Let me hear the Leader of the Opposition.

DR. RATNAKAR PANDEY: He will not speak about anything except Manmohan Singh. He has got no other topic.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Kindly let me hear what he says.

SHRI M. A. BABY: I would also like to speak for two minutes only.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): But we cannot continue, Mr. Baby. I ju t want to hear what the Leader of the Opposition is saying.

SHRI M. A. BABY: Madam, it is a very serious matter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): We have not taken a decision...(Interruptions)... Let me deal with it, please.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Madam. . .

SHRI M. A. BABY: This is a matter concerning the economic sovereignty of the country.

THE VICE-CHARIMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Baby, we are not being technical. The Members are raising an objection. You know there is no unanimity, we cannot continue. But I am going to hear Mr. Reddy.

SHRI M. A. BABY: All of them are equally if not more, concerned with this particular question....(Interruptions)....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARJAN): Mr. Ghosh, please don't) challenge the Chair.

SHRI DIPEN GHOSH: Itwas decided in the BAC that the business will be held up to 6 o'clock.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARJAN): No. That is not my information, You are wrongly informed.

SHRI M. A. BABY: Madam, I don't think that they will object if we sit up to 5 30 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Mr. Baby, please wait for a minute.

S/IRI M. A. BABY: Allow me after Mr. Reddy.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): I am mcrely hearing the Leader of Oppc sition because he has something to say.

Mr. Ghosh, you are wrongly informed. No decision was taken at the BAC to sit up to 6 o'clock. You ask the office.

SHRI DIPEN GHOSH: I was there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): No such decision was taken.

SHRI M. A. BABY: As per the documents I am having the economic sovereignty of the country is being compromised. As per the documents presented by the Finance Minister, I just want to quote only one sentence. It was never placed in this House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN): Let the Leader of the Opposition speak.

SHRI M. A. BABY: After that at least you must hear me. At least that much consideration I expect from you.